बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अ०स०:–2 / अ0प्र0–01–59 / 2023 15 / पटना, दिनांक :– 2-1-24

मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत् छूटे ग्रामों / टोलों / बसावटों जिसे अभी तक बारहमासी एकल सम्पर्कता प्राप्त नहीं है, की सूची तथा इसके लिए प्रस्तावित पथ की अनुशंसा उपलब्ध कराने हेतु भेजे गये अर्द्धसरकारी पत्र में माननीय मुख्यमंत्री महोदय सहित सभी माननीय मंत्री महोदय के पदीय गरिमा का ध्यान नही रखते हुये सामान्य शिष्टाचार प्रदर्शित नहीं करने के कारण बरती गयी शिष्टाचारविहीनता, कर्तव्यहीनता, अनुशासनहीनता एवं कर्तव्य के प्रति लापरवाही के लिए श्री योगेन्द्र कुमार भाटिया, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता (कार्यकारी प्रभार), क्षेत्रीय प्रयोगशाला, गुलजारबाग (प्रतिनियुक्त MMGSY कोषांग) को अधिसूचना संख्या–781–सह–पठित ज्ञापांक–782 दिनांक 20.04.2023 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, बेतिया निर्धारित किया गया।

2. मामले से संबंधित त्रुटिपूर्ण अर्द्धसरकारी पत्रों के आधार पर श्री भाटिया के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक 950 अनु0 दिनांक 04.05.2023 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। तद्आलोक में श्री भाटिया के पत्रांक शून्य दिनांक 18.05.2023 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। समर्पित स्पष्टीकरण में श्री भाटिया द्वारा मामले से संबंधित अन्य तथ्यों का उल्लेख करते हुए यह कहा गया कि निर्गत किये गये पत्र का प्रारूप उनके स्तर से अग्रसारित नहीं किया गया है। साथ ही श्री भाटिया के पत्रांक शून्य दिनांक 06.07.2023 द्वारा समर्पित अभ्यावेदन में वस्तुस्थिति का उल्लेख करते हुए अभ्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर निलंबन से मुक्त करने का अनुरोध किया गया।

3. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में मामले की समग्र समीक्षोपरान्त श्री भाटिया को तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त करने एवं गठित आरोप पत्र के आधार पर मामले की विस्तृत जाँच हेतु विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त हुआ। तद्आलोक में अधिसूचना संख्या–1659– सह–पठित ज्ञापांक–1660 दिनांक 01.08.2023 द्वारा श्री भाटिया को तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त कर दिया गया। साथ ही संकल्प ज्ञापांक–1670 अनु0 दिनांक 01.08.2023 द्वारा श्री भाटिया के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसके निमित्त अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी (अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना) के पत्रांक–51 दिनांक–16.11.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में यह मंतव्य दिया गया कि संचिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि भेजे गये अर्द्धसरकारी पत्र के मॉडल प्रारूप पर आरोपित पदाधिकारी द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया गया था एवं उक्त मॉडल प्रारूप में संबोधन के रूप में किन्ही माननीय सदस्य का नाम या उनके क्षेत्र का नाम अंकित नहीं था। उक्त अनुमोदन के पश्चात् भेजे गए पत्र में नाम एवं योजना अंकित करने की कार्रवाई श्री भाटिया द्वारा नहीं की गयी। उक्त आलोक में अभियंता प्रमुख–सह–संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री भाटिया के बचाव बयान से सहमत होकर गठित आरोपों को अप्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया।

5. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित उक्त जाँच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री योगेन्द्र कुमार भाटिया, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता (कार्यकारी प्रभार), क्षेत्रीय प्रयोगशाला, गुलजारबाग (प्रतिनियुक्त MMGSY कोषांग) सम्प्रति तकनीकी सलाहकार (कार्यकारी प्रभार), ग्रामीण कार्य

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website :-http://rwd.bih.nic.org, E-mail:secretaryrwdbihar@gmail.com,&secy-reo-bih@nic.in

विभाग, कार्य अंचल, औरंगाबाद प्रतिनियुक्त–मुख्य अभियंता–4(मु०) का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को आरोप मुक्त करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

6. अतः उक्त आलोक में श्री योगेन्द्र कुमार भाटिया, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता (कार्यकारी प्रभार), क्षेत्रीय प्रयोगशाला, गुलजारबाग (प्रतिनियुक्त MMGSY कोषांग) सम्प्रति तकनीकी सलाहकार (कार्यकारी प्रभार), ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, औरंगाबाद प्रतिनियुक्त–मुख्य अभियंता–4(मु०) का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को प्रश्नगत् मामले में आरोप मुक्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

2.1.24

(आदित्य प्रकाश)

अवर सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–01–59/2023 16 /पटना, दिनांक :– 2-1-24

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले0 एवं ह0) वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, बेतिया/औरंगाबाद/कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.1.24

अवर सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–01–59/2023 16 /पटना, दिनांक :– 2-1-24

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, निगरानी विभाग/जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/जल संसाधन विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–5/6, ग्रामीण कार्य विभाग/ आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं श्री योगेन्द्र कुमार भाटिया, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता (कार्यकारी प्रभार), क्षेत्रीय प्रयोगशाला, गुलजारबाग (प्रतिनियुक्त MMGSY कोषांग) सम्प्रति तकनीकी सलाहकार (कार्यकारी प्रभार), ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, औरंगाबाद प्रतिनियुक्त–मुख्य अभियंता–4(मु०) का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.1.24

अवर सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–01–59/2023 16 /पटना, दिनांक :– 2-1-24

प्रतिलिपिः– माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री के आप्त सचिव को माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री के अवलोकनार्थ प्रेषित।

2.1.24

अवर सचिव